उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-6/2016/469/तीस-4-2016-8(3)2015
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च,2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-1/2016/260/तीस-4-2015-8(3)2015, दिनांक 19 फरवरी, 2016 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित् नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (बीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (बीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-51 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-51 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगें, अर्थात:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) रजिस्ट्रीकरण की संख्या उसी क्रम में दी जायेगी, जिस क्रम में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे। (2) मोटरयानों को एक बार दी गयी कोई संख्या किसी अन्य मोटरयान को नहीं दी जायेगी और न ही किसी रद्द की गयी मोटरयान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटरयान को दी जायेगी।	(1) रजिस्ट्रीकरण की संख्या उसी क्रम में दी जायेगी, जिस क्रम में आवेदन पत्र प्राप्त होंगें। (2) मोटरयानों को एक बार दी गयी कोई संख्या किसी अन्य मोटरयान को नहीं दी जायेगी और न ही किसी रद्द की गयी मोटरयान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटरयान को दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	परन्तु यह कि, ऐसे पुराने गैर परिवहन यान, जिसके स्वामी के पास उस यान का स्वामित्व लगातार कम से कम तीन वर्ष तक रहा हो, उस वाहन स्वामी के द्वारा क्रीत नयी यान पर, ऐसे पुराने यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण फीस और कर भुगतान के साथ-साथ रूपये 25,000 प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धनों और शर्तों के अधीन प्रदान किया जायेगा।
(3) कोई व्यक्ति उस मोटरयान से, जिससे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गयी है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।	(3) कोई व्यक्ति उस मोटरयान से, जिससे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गयी है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।
(4) ----------	(4) नियम-51(2) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये रू0 25000/- अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-6/2016/469(1)/तीस-4-2016-8(3)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 21 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-6/2016/469(2)/तीस-4-2016-8(3)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.6/2016/469/XXX-4-2015-8(3)/2015, dated March 21, 2016.

Notification

N0.6/2016/469/XXX-4-2016-8 (3)/2015
Lucknow: Dated: March 21, 2016

In exercise of the powers under section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after considering the objections and suggestions received in pursuance of Government notification no.1/2016/260/XXX-4-2015-8(3)2015, dated February 19, 2016 as required under sub-section (1) of section212 of the said Act of 1988.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules , 2016

Short title and Commencement	1-(1) These rules may be called the U.P. Motor Vehicles (amendment) Rules, 2016	
	(2) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.	
Amendment of rule 51	2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 for rule 51 setout in column-1 below the rule as setout in column-2 shall be substituted namely:-	
	Column-1	Column-2
	51(1) The registered numbers shall be assigned serially in the order in which applications are received.	51(1) The registered numbers shall be assigned serially in the order in which applications are received.
	(2) A number once assigned to a motor vehicle shall not be assigned to any other motor vehicle nor shall the cancelled registered number of a motor vehicle be assigned to any other motor vehicle.	(2) A number once assigned to a motor vehicle shall not be assigned to any other motor vehicle nor shall the cancelled registered number of a motor vehicle be assigned to any other motor vehicle. Provided that, such old non transport vehicle, as was owned for consecutive three years by its owner, registration mark of such old vehicle may

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		be given to the new vehicle purchased by the said owner after paying the charges of Rs.25,000.00 in addition to the than payable registration fee and tax and Under the terms and conditions prescribed by the State Government. Registration marks of the current series may be allotted to the old vehicle.
	(3) No person shall exhibit or use a registered number or any vehicle other than the motor vehicle to which it has been assigned under these rules.	(3) No person shall exhibit or use a registered number or any vehicle other than the motor vehicle to which it has been assigned under these rules.
	(4) --	For every application under proviso of rule 51(2) an additional fee of Rs.25000.00 shall be payable.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।